मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 1] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 1 जनवरी 2010—पौष 11, शक 1931

भाग ४

विषय-सूची

(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक.
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम.
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अन्तिम नियम.

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

प्रारूप नियम

वन विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2009

क्र. एफ-25-17-09-दस-3.—मध्यप्रदेश वन उपज (व्यापार-विनियमन) काष्ठ नियम, 1973 में उस संशोधन का, जिसे राज्य सरकार मध्यप्रदेश वन उपज (व्यापार-विनियमन) अधिनियम, 1969 (क्रमांक 9 सन् 1969) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, बनाना प्रस्तावित करती है, निम्नलिखित प्रारूप, उक्त धारा की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार उन समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर, "मध्यप्रदेश राजपत्र" में इस सूचना के प्रकाशित होने की तारीख से तीस दिन का अवसान होने पर विचार किया जाएगा.

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर, जो उक्त प्रारूप संशोधन के संबंध में, किसी व्यक्ति से ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान होने पर या उसके पूर्व प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा.

प्रारूप संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 7 में, उपनियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(1) प्रत्येक विनिर्माता जो विनिर्दिष्ट इमारती लकड़ी का कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है तथा प्रत्येक व्यापारी और उपभोक्ता जिसका, यथास्थिति, वार्षिक उपयोग, आवश्यकता या उपभोग नीचे दी गई अनुसूची में दी गई मात्रा से अधिक हो, विनिर्दिष्ट इमारती लकड़ी के अपने स्टाक की घोषणा प्ररूप "घ" में करेगा और उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई वार्षिक रजिस्ट्रीकरण फीस का संदाय करने के पश्चात्, इसमें इसके पश्चात्, उपबंधित रीति में, स्वयं को रजिस्ट्रीकृत करवाएगा.

अनुसूची

वह न्यूनतम मात्रा जिसके लिए विनिर्माताओं, व्यापारियों एवं उपभोक्ताओं के लिए रजिस्ट्रीकरण आवश्यक है तथा विनिर्माताओं, व्यापारियों और उपभोक्ताओं के रजिस्ट्रीकरण के लिए वार्षिक फीस:—

वह न्यूनतम मात्रा जिसके लिये रजिस्ट्रीकरण आवश्यक है			वार्षिक रजिस्ट्रीकरण फीस	
व्यापारी	उपभोक्ता	विनिर्माता तथा उपभोक्ता	व्यापारी	उपभोक्ता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(क) भवन निर्माण ठेकेदार के लिए 1 घ.मी.	वास्तविक प्रयोजनों के लिए 10 घ.मी.	रुपये 2000/-	(क) भवन निर्माण ठेकेदार रुपये 2000/-	वास्तविक उपभोक्ता के लिए रुपये 200/-
(ख) बढ़ई की दुकान/फर्नीचर बनाने वाले, जिसमें टर्नरी आर्टीजन्स सम्मिलित है, 1 घ.मी.			(ख) बढ़ई की दुकान/फर्नीचर बनाने वाले, जिसमें टर्नरी आर्टीजन्स सम्मिलित है, रुपये 200/-	
			(ग) केवल व्यापारी रुपये 2000/-".	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रतन पुरवार, सचिव.

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2009

क्र. एफ-25-17-09-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-17-दस-3-09, दिनांक 22 दिसम्बर 2009 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रतन पुरवार, सचिव.

Bhopal, the 22nd December 2009

No. F-25-17-09-X-3.—The following draft of amendment in the Madhya Pradesh Van Upaj (Vyapar Viniyaman) Kastha Niyam, 1973, which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by Section 21 of the Madhya Pradesh Van Upaj (Vyapar Viniyaman) Adhiniyam, 1969 (No. 9 of 1969), is hereby published as required by sub-section (1) of the section for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on the expiry of thirty days from the date of publication of this notice in the "Madhya Pradesh Gazette".

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft of amendment on or before the expiry of the period specified above will be considered by the State Government.

DRAFT OF AMENDMENT

In the said rules, in rule 7, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(1) Every manufacturer who, uses any specified timber as a raw material and every trader and consumer whose annual use, requirement or consumption, as the case may be, exceeds the quantity given in the Schedule below, shall declare his stock of specified timber in Form D and get himself registered in the manner hereinafter provided after payment of a annual registration fee as specified in the said Schedule.

SCHEDULE

Minimum quantity for which registration is necessary for Manufacturers, traders and consumers and the annual registration fee for manufacturers, traders and consumers.

Minimum quantity for which registration is necessary			Annual registration fee	
Trader	Consumer	Manufacturer and consumer	Trader	Consumer
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(a) House building contractors 1 cu.m.	Bonafide purposes 10 cu.m.	Rs. 2000/-	(a) House building contractors Rs. 2000/-	Banafide consumer Rs. 200/-
(b) Carpentry shops furniture makers including turnery artisans 1 cu.m.			(b) Carpentry shops furniture makers including turnetry artisans Rs. 200/-	
			(c) Only traders Rs. 2000/-".	

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RATAN PURWAR, Secy.

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2009

क्र. एफ-26-2-09-दस-3.—मध्यप्रदेश, इमारती लकड़ी से भिन्न वन उपज (व्यापार विनियमन) नियम, 1969 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप जिसे राज्य सरकार, मध्यप्रदेश वन उपज (व्यापार विनियमन) नियम, 1969 (क्रमांक 9 सन् 1969) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त धारा की उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित किए गए अनुसार ऐसे

समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा, यह सूचना दी जाती है कि इस सूचना के ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' में प्रकाशित होने की तारीख से 30 दिन का अवसान होने पर उक्त प्रारूप पर विचार किया जाएगा.

ऐसी किसी भी आपत्ति या सुझाव पर जो उक्त संशोधन प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से, ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान होने पर या उसके पूर्व प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा.

संशोधन प्रारूप

उक्त नियमों में,

1. नियम 6 में, उपनियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''(1) राज्य सरकार को छोड़कर विनिर्दिष्ट वन उपज का प्रत्येक उगाने वाला, यदि उसके द्वारा उगाई गई विनिर्दिष्ट वन उपज की मात्रा नीचे विनिर्दिष्ट की गई मात्रा से बढ़ने की संभावना हो तो स्वयं को धारा 10 के अधीन रजिस्ट्रीकृत करवाएगा.

सारणी

अनुक्रमांक (1)	वन उपज (2)	मात्रा (3)
1.	कुल्लु गोंद	एक किलोग्राम
2.	साल बीज	पचास किलोग्राम
3.	लाख	पचास किलोग्राम.''.

2. नियम 8 में, उपनियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''(1) प्रत्येक विनिर्माता जो विनिर्दिष्ट वन उपज का कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है तथा प्रत्येक व्यापारी तथा उपभोक्ता जिसका, यथास्थिति वार्षिक उपयोग, आवश्यकता अथवा उपभोग नीचे दी गई सारणी में दी गई मात्रा से अधिक हो, विनिर्दिष्ट वन उपज के अपने स्टाक की घोषणा प्ररूप छः में करेगा और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट की गई वार्षिक रजिस्ट्रीकरण फीस का संदाय करने के पश्चात् इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति में प्रत्येक विनिर्दिष्ट वन उपज के लिए स्वयं को पृथक् -पृथक् रूप से रजिस्ट्रीकृत करवाएगा:—

सारणी

वार्षिक रजिस्ट्रीकरण फीस तथा मात्रा की जिससे अधिक के लिए रजिस्ट्रीकरण आवश्यक होगा:—

अनुक्रमांक	विनिर्दिष्ट वन उपज का नाम	वार्षिक रजिस्ट्रीकरण फीस		व्यापारी तथा उपभोक्ता के लिए मात्रा	
		विनिर्माता तथा व्यापारी	उपभोक्ता	व्यापारी	उपभोक्ता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	कुल्लु गोंद	रुपये 100	रुपये 5	1 किलोग्राम	1 किलोग्राम
2.	साल बीज	रुपये 100	रुपये 5	1 किलोग्राम	1 किलोग्राम
3.	लाख	रुपये 100	रुपये 5	सभी मात्राओं के लिये	-''.

3. नियम 10 में,

(एक) उपनियम (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(4) वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस आवेदक द्वारा कलेण्डर वर्ष के दौरान व्यापार किए जाने के लिए अपेक्षित विनिर्दिष्ट वन उपज की मात्रा पर आधारित विसर्पी मान से नीचे दी गई सारणी के अनुसार होगी:—

सारणी

अनुक्रमांक (1)	कुल्लु गोंद, साल बीज, लाख (2)	वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस (3)
1.	50 क्विंटल तक	रुपये 200
2.	50 क्विंटल से अधिक	रुपये 1000.";

(दो) उपनियम (11) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(11) अनुज्ञप्तिधारी विनिर्दिष्ट वन उपज का पृथक्-पृथक् व्यक्तियों को फुटकर में नीचे विनिर्दिष्ट सारणी में मात्रा तक विक्रय करेगा:—

सारणी

अनुक्रमांक (1)	विनिर्दिष्ट वन उपज (2)	मात्रा (3)
1.	कुल्लु गोंद	एक सौ ग्राम
2.	साल बीज	पांच किलोग्राम
3.	लाख	निरंक.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रतन पुरवार, सचिव.

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2009

क्र. एफ-26-2-09-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना, क्रमांक एफ-26-2-दस-3-09, दिनांक 22 दिसम्बर 2009 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रतन पुरवार, सचिव.

Bhopal, the 22nd December 2009

No. F-26-2-09-X-3.—The following draft of amendment in the Madhya Pradesh Van Upaj Other than Timber (Vyapar Viniyaman) Niyam, 1969 which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by Section 21 of the Madhya Pradesh Van Upaj (Vyapar Viniyaman) Adhiniyam, 1969 (No. 9 of 1969), is hereby published as required by sub-section (1) of the said Section for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on the expiry of thirty days from the date of publication of this Notice in the "Madhya Pradesh Gazette".

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft of amendment on or before the expiry of the period specified above shall be considered by the State Government.

DRAFT OF AMENDMENT

In the said rules,—

1. In rule 6, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(1) Every grower of specified forest produce other than the State Government shall, if the quantity of specified forest produce grown by him is likely to exceed the quantity specified in the table below, get himself registered under Section 10.

TABLE

S.No. (1)	Forest Produce (2)	Quantity (3)
1.	Kullu Gum	One Kilogram
2.	Sal Seeds	Fifty Kilogram
3.	Lac	Fifty Kilogram.".

2. In rule 8, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(1) Every manufacturer who uses any specified forest produce as a raw material and every trader and consumer whose annual use, requirement or consumption, as the case may be exceeds the quantity given in the table below, shall declare his stock of specified forest produce in Form G and get himself registered separately for each specified forest produce in the manner hereinafter provided after payment of an annual registration fee as specified in the following table:—

TABLE

Annual registration fee and quantity above which the registration will be necessary:—

S. No.	Name of Specified forest produce	Annual registration fee		Quantity for Trader and Consumer	
		Manufacturer and Trader	Consumer	Trader	Consumer
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)
1.	Kullu Gum	Rs. 100	Rs. 5	1 Kilogram	1 Kilogram
2.	Sal Seeds	Rs. 100	Rs. 5	1 Kilogram	1 Kilogram
3.	Lac	Rs. 100	Rs. 5	For all quantities	-".

3. In rule 10,—

(i) for sub-rule (4), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(4) The annual licence fee shall be on a sliding scale based on the quantity of the specified forest produce required to be traded in during the calender year by the applicant as per table below:—

TABLE

S.No. (1)	Kullu Gum, Sal Seeds, Lac (2)	Annual licence fee (3)
1.	Upto 50 quintals	Rs. 200
2.	Above 50 quintals	Rs. 1000";

(ii) for sub-rule (11), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(11) The licensee shall sell the specified forest produce in retail to individual persons up to quantity as specified in the table below:—

TABLE

S.No. (1)	Specified forest produce (2)	Quantity (3)
1.	Kullu Gum	One hundred gram
2.	Sal Seeds	Five Kilograms
3.	Lac	Nil".

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RATAN PURWAR, Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.